

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITYसं० 229 ]  
No. 229 ]नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 23, 1996/श्रावण 1, 1918  
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 23, 1996/SRAVANA 1, 1918

## दूरसंचार विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1996

सा.का.नि. 328(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तार इंजीनियरी सेवा (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम 1981 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण के पहले किया गया था या करने का लोप किया गया है, दूरसंचार विभाग में दूरसंचार इंजीनियरी सेवा समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार इंजीनियरी सेवा (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1996 है।
- लागू होना.—वे नियम इससे उपाह्वान अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएँ.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.—वह व्यक्ति—  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।  
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्याप्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा फायदा अनुज्ञेय है या नहीं	सेवा में जोड़े गए वर्षों का अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
उप मंडलीय इंजीनियर	*15000 (1996) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	दूरसंचार इंजीनियरी सेवा समूह "ख" राजपत्रित	2000-60-2300- द.रे.-75-3200- 100-3500 रु०	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1796 GI/96

(1)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और आवश्यक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10	11
लागू नहीं होगा	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति : ज्येष्ठता सह-उपयुक्तता के आधार पर 75% विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 25%
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
12	13	14	
(i) 75% कोटा के अधीन : ऐसे कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की हैं। (ii) 25% कोटा के अधीन : ऐसी विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जिसके लिए ऐसे कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी पात्र होंगे जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति: (1) सलाहकार दूरसंचार आयोग—अध्यक्ष (2) उप महानिदेशक (कार्मिक)—सदस्य (3) निदेशक (कर्मचारिवृन्द दूर.सं.)—सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।	
<b>टिप्पणी:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारियों की प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक केवल मुख्यालय में अखिल भारतीय पात्रता सूची के आधार पर होगी।</li> <li>पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख उस वर्ष की पहली जुलाई होगी जिसमें रिक्तियां संबंधित हैं।</li> <li>विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम और नियम वे होंगे जो दूरसंचार आयोग समय समय पर विहित करें।</li> <li>जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनके द्वारा की गई सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से एक वर्ष से अधिक से कम न हो और उन्होंने अपनी परिचीक्षा की अवधि यदि विहित हो सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</li> </ol>			

[सं. 2-40/94-एस टी जी-II]  
जी.डी. गोहा, उप महानिदेशक (कार्मिक)  
पदेन संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 1996

G.S.R. 328(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Telegraph Engineering Service (Group "B" posts) Recruitment Rules, 1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of the Telecommunications Engineering Service, Group "B" in the Department of Telecommunications, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Telecommunications Engineering Service (Group "B" posts) Recruitment Rules, 1996.

2. Application :—These rules shall apply to the recruitment to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

4. Number of the post, classification and scale of pay :—The number of the said post, its classification, and the scale of pay shall be as specified in column (2) to (4) of the said schedule.

5. Method of recruitment, age limit and other qualifications :—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid schedule.

6. Disqualifications :—No person—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Savings :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Casts, the Schedule Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay Rs.	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible	Educational & other qualifications required for direct recruits	Whether age and essential qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees
--------------	----------------	----------------	------------------	---	-------------------------------	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sub Divisional Engineer	15000* (1996) *Subject to variation dependent on workload.	Telecom. Engineering Service Group "B" Gazetted.	2000-60-2300- EB-75-3200- 100-3500	Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and of percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitments
-----------------------------	--	---	--	---

10	11	12	13	14
2 years	Promotion : - (i) 75% on the basis of seniority-cum-fitness. (ii) 25% on the basis of a departmental competitive examination.	Promotion : (i) under 75% quota Junior Telecom. Officer with 3 years regular service in the grade. (ii) under 25% quota On the basis of departmental competitive examination for which Junior Telecom. Officers with 3 years regular service in the grade shall be eligible.	Group "B" Departmental Promotion Committee : 1. Adviser, Telecom. Commission—Chairman 2. Deputy Director General (Pers.)—Member 3. Director (Staff Telecom.)—Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

## Note :

## 1. Departmental Promotion Committee

Officers shall be held on the basis of an All India eligibility list at Head Quarter only.

- The crucial date for determining the eligibility shall be first of July of year to which the vacancies pertains.
- The Syllabus & Rules for conducting departmental competitive examination shall be such as the Telecom. Commission may prescribe from time to time.
- Where junior who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite

10

11

12

13

14

qualifying/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed.

[No. 2-40/94-STG-II]

G. D. GAIHA, Dy. Director General (Personnel)  
Ex-officio Jt. Secy.